भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3341

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

3341. **श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, को लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुख्यधारा में लाने के संबंध में मार्गदर्शन/तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2007-08 से जेंडर बजटिंग योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जेंडर बजटिंग करने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना है। इस योजना के अतर्गत, राज्य सरकार के विभागों, राष्ट्रीय/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 100% सहायता अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कुल 1.27 करोड़ रुपये की राशि 17 एजेंसियों को देने का अनुमोदन दिया गया था जिसमें - 3

केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग तथा 5 राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन्हें उक्त राशि का अनुमोदन इनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार दिया गया है।

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाएं और बालिकाएं भी शामिल हैं। शिक्षा के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों में समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी), स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, पीएम ई-विद्या और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा को अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के माध्यम से पोषित किया जाता है, जबकि खाद्य सुरक्षा को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना एवं जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा और जल की पहुंच को बढ़ाया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से आवास की जरूरतों को पूरा किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) तथा प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) आवश्यक चिकित्सा सेवाएं तथा किफायती दवाएं, चिकित्सा उपकरण और स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के अंतर्गत कौशल विकास एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उद्यमिता में सहायता की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई) द्वारा रोजगार, स्वरोजगार और ऋण सुविधा दी जा रही है, और महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) ग्रामीण महिलाओं को लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। सामूहिक रूप से, ये योजनाएँ महिलाओं के

नेतृत्व वाले विकास का एजेंडा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुख्यधारा को बढ़ावा दे रही हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राज्यों में इसकी समकक्ष संस्थाओं के साथ समन्वय करके सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल अभियान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाता है ताकि लोगों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों और कानून एवं नीतियों आदि के विभिन्न महिला-केंद्रित प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा सके।

*****